सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
भाद्र 29, सोमवार, शाके 1943-सितम्बर 20, 2021 *Bhadra 29, Monday, Saka 1943- September 20, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

[Form'M']

वन विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 13, 2021

संख्या 2(8)वन/2020 :-चूंकि इसके साथ संलग्न प्रथम अनुसूची में बतलाई गई वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है,अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग की हकदार है;

और चूंकि सरकार पूर्वोक्त वन भूमि और बंजर भूमि को राजस्थान वन अधिनियम, 1953 की धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है ;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नही किया गया है ;

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में अथवा उन पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जांच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद् द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन जहां तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा ;

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (3) के परन्तुक [Proviso]द्वारा प्रदत शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्वारा कथित वन-भूमि और बंजर-भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गो के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पडेगा ;

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेत्तर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाये गये कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज-पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते हैं और पूर्वोक्त तारीख से कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि

को कृषि के लिये या मकान बनाने के लिये या पशु-पालन के लिये अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोडा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर-भूमि)

द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
बी प्रवीण,
शासन सचिव,
वन विभाग,
शासन सचिवालय जयपुर।

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लॉक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	सर का बीड पार्ट सी	खमनोर	राजसमन्द	उत्तर : सीमा ग्राम कामा की सरहद कीभूमि। दक्षिण: ग्राम सलोदा की राजकीय एवं खातेदारी भूमियॉ। पूर्व: ग्राम सलोदा की राजकीय एवं खातेदारी भूमियॉ। पश्चिम: रक्षित वन खण्ड सर का बीड़रेन्ज नाथद्वारा	ग्राम सलोदा पटवार सर्किल सलोदा के खसरा नम्बर 3920 क्षैत्रफल 15 बीघा 13 बीस्वा 3.9400 हैक्टेयर

उप वन संरक्षक
राजसमंद

परिशिष्ट 'क'

प्रारम्भिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र

वनखण्ड: सर का बीड पार्ट सी

रेंज:नाथद्वारा

वन मण्डल:राजसमन्द

1 संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण वन क्षैत्र हैं । जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरों का विवरण दर्शाया गया है।

2 वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों मे वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग के द्वारा कुछ क्षेत्रों मेंविकास कार्य करना है। इनमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को

रक्षित वनघोषित करने के लिये जिला कलक्टर से सहमति प्राप्त कर ली गई है जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3 वर्तमान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य नही कराए गए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4 भूमि पर वृक्षों का घनत्व नगण्य है।

5 समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजकीय भूमि/खातेदारी भूमियां है। तथा चारों ओर की सीमाओं का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 5 में कर दिया गया है।

6 वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे) संलग्न है एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षेत्रों की सीमा को नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षेत्र को जी.टी.शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7 प्रस्तावित क्षेत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वन क्षेत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट में प्रकाशन होनानितान्त आवश्यक है जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8 उक्त वन भूमि का पूर्व में राज-पत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
नाथद्वारा

उप वन संरक्षक
राजसमंद

कार्यालय उप वन संरक्षक,राजसमंद

Action taken for notification of unclassed forest existing in the division as well as areas of compensatory afforestation in NFL transferred to forest department

अवर्गीकृत वन क्षेत्रो की सूचना

क्र.सं.	जिला	तहसील	रेंज	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	वि0वि0
1	2	3	4	5	6	7	8
1	राजसमंद	खमनोर	नाथद्वारा	सर का बीड पार्ट सी	सलोदा	3.9400	

उप वन संरक्षक
राजसमंद

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।